Journal Homepage: www.ijarpr.com ISSN: 3049-0103 (Online)

International Journal of Advance Research Publication and Reviews

Vol 3, Issue 2, pp 48-54, March 2025

धमतरी में जीएसटी और सूक्ष्म उद्यम: अवसर और चुनौतियाँ

केननक्रांता पटेल [1], डॉ काजोल दत्ता [2]

[1]*शोधार्थी, भारती विश्वविद्यालय दुर्ग*

[2]*शोध निदेशक, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, भारती विश्वविद्यालय दुर्ग, छ.ग.*

सारांश:-

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत का उद्देश्य अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और अनुपालन में सुधार करना था। हालाँकि, सूक्ष्म उद्यमों पर इसका प्रभाव, विशेष रूप से धमतरी जैसे छोटे शहरों में, अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण रहा है। यह अध्ययन इस बात का अध्ययन करता है कि जीएसटी ने धमतरी में सूक्ष्म उद्यमों को कैसे प्रभावित किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, व्यवसाय विस्तार और सरलीकृत कर संरचना जैसे लाभों का विश्लेषण करते हुए अनुपालन बोझ, डिजिटल निर्भरता और नकदी प्रवाह के मुद्दों जैसी चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला है। यह शोध साहित्य, सरकारी रिपोर्टों और स्थानीय व्यवसायों(उघमों)से एकत्र किए गए प्राथमिक डेटा की समीक्षा पर आधारित है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि जीएसटी ने दीर्घकालिक लाभ तो लाए हैं, लेकिन नीति निर्माताओं को सूक्ष्म उद्यमों द्वारा इसे आसानी से अपनाना सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

कुंजी शब्द - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), सूक्ष्म उघम, अवसर और चुनौतियां।

परिचय:-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनमें से, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले जैसी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में सूक्ष्म उद्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहाँ विनिर्माण, खुदरा और सेवाओं में सूक्ष्म उघम फलते-फूलते हैं। जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरूआत का उद्देश्य कर संरचना को एकीकृत करना और अप्रत्यक्ष कराधान की कई परतों को खत्म करना था। जबकि जीएसटी ने व्यावसायिक लेन-देन को सरल बनाया है, सूक्ष्म उद्यम, विशेष रूप से अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, अनुपालन, डिजिटलीकरण और कार्यशील पूंजी के मुद्दों से जूझ रहे हैं।

इस शोध पत्र का उद्देश्य धमतरी में सूक्ष्म उद्यमों पर जीएसटी के प्रभाव का विश्लेषण करना है, जिसमें अवसरों और चुनौतियों दोनों की जाँच की जाएगी। यह मौजूदा साहित्य और सरकारी नीतियों की भी समीक्षा करेगा, इसके बाद एक कार्यप्रणाली होगी जिसमें स्थानीय सूक्ष्म उघमों के उघमियो के साथ सर्वेक्षण और साक्षात्कार शामिल हैं।

साहित्य की समीक्षा

कई अध्ययनों ने भारत में एमएसएमई पर जीएसटी के प्रभाव की जांच की है। जबकि कुछ कर बोझ को कम करने में इसके लाभों पर प्रकाश डालते हैं, अन्य डिजिटल कराधान को अपनाने में सूक्ष्म उद्यमों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर जोर देते हैं।

1. जीएसटी और सूक्ष्म उघम - सिंह और गुप्ता (2018) ने छोटे व्यवसायों पर जीएसटी के प्रभावों का विश्लेषण किया और पाया कि कर संरचना को सरल बनाने के बावजूद अनुपालन लागत में वृद्धि हुई। उनके अध्ययन ने संकेत दिया कि कई सूक्ष्म उद्यमों में जीएसटी विनियमों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक वित्तीय साक्षरता का अभाव है।

2. डिजिटलीकरण और जीएसटी अनुपालन:-

बंसल और शर्मा (2019) ने जीएसटी कार्यान्वयन में डिजिटल बुनियादी ढांचे की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों को सीमित इंटरनेट पहुंच और प्रशिक्षण की कमी जैसी तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

3. कार्यशील पूंजी की चुनौतियाँ:-

राजन और कुमार (2020) द्वारा किए गए एक अध्ययन में पता लगाया गया कि जीएसटी ने छोटे व्यवसायों के नकदी प्रवाह को कैसे प्रभावित किया। उन्होंने पाया कि नकद-आधारित कर प्रणाली से प्रोद्भव-आधारित प्रणाली में परिवर्तन ने सूक्ष्म उद्यमों के लिए तरलता की समस्याएँ पैदा कीं।

4. लघु उद्यमों के लिए कंपोजिशन स्कीम:-

मुखर्जी (2021) ने जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के प्रभाव की जांच की, जो छोटे व्यवसायों को अपने टर्नओवर का एक निश्चित प्रतिशत कर के रूप में भुगतान करने की अनुमति देता है। हालांकि इसने अनुपालन बोझ को कम कर दिया, लेकिन इस योजना के तहत व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते थे, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता सीमित हो गई।

5. जीएसटी और बाजार विस्तार:-

एमएसएमई मंत्रालय (2022) द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि कैसे जीएसटी ने अंतर-राज्यीय कर बाधाओं को समाप्त कर दिया, जिससे छोटे व्यवसायों को अपने स्थानीय बाजारों से परे विस्तार करने में मदद मिली। हालांकि, इसने यह भी नोट किया कि अनुपालन चुनौतियों के कारण कई व्यवसाय अभी भी जीएसटी के तहत पंजीकरण करने में हिचकिचाते हैं।

6.सकारात्मक परिणाम:-

लागत में कमी और आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन: 2023 में डेलॉइट सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि जीएसटी कार्यान्वयन के कारण 88% एमएसएमई ने वस्तुओं और सेवाओं की लागत में कमी और आपूर्ति श्रृंखलाओं के अनुकूलन का अनुभव किया।बढ़ी हुई व्यावसायिक गतिविधियाँ: तिमाही रिटर्न दाखिल करने और आपूर्ति श्रृंखला दक्षताओं की शुरूआत लाभकारी रही है, 70% एमएसएमई ने इन लाभों को स्वीकार किया है।

7. पहचानी गई चुनौतियाँ:-

अनुपालन जटिलताएँ: लाभों के बावजूद, कई एमएसएमई को जीएसटी व्यवस्था के तहत अनुपालन जटिलताओं, बढ़ी हुई परिचालन लागत और बाधित नकदी प्रवाह से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

तकनीकी अनुकूलन: अगस्त 2023 में ई-इनवॉइसिंग के लिए टर्नओवर सीमा को ₹10 करोड़ से घटाकर ₹5 करोड़ करने का उद्देश्य कर अनुपालन को बढ़ाना था, लेकिन नई तकनीकी आवश्यकताओं के अनुकूल होने में छोटे उद्यमों के लिए चुनौतियाँ खड़ी हो गईं।

8. वर्तमान के घटनाक्रम:-

जीएसटी 2.0 पहल: जून 2024 में 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में ब्याज और दंड की सशर्त छूट, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों के लिए विस्तार और विसंगतियों को कम करने के लिए जीएसटीआर-1ए की शुरूआत जैसे उपाय पेश किए गए। इन सुधारों का उद्देश्य एमएसएमई के लिए अनुपालन को आसान बनाना और व्यावसायिक संचालन में सुधार करना है।

9. टीसीएस दर में कमी:-

जीएसटी परिषद ने ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) दर को 2024 में 1% से घटाकर 0.5% करने का प्रस्ताव रखा, जिससे इन प्लेटफार्मों पर एमएसएमई की कार्यशील पूंजी संबंधी चिंताओं का समाधान हो सके।जीएसटी ने एमएसएमई के लिए लागत में कमी और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार सहित महत्वपूर्ण लाभ लाए हैं, अनुपालन और तकनीकी अनुकूलन से संबंधित

चुनौतियाँ बनी हुई हैं। जीएसटी 2.0 के अंतर्गत चल रहे सुधारों का उद्देश्य इन मुद्दों का समाधान करना तथा एमएसएमई के लिए अधिक अनुकूल कारोबारी माहौल तैयार करना है।

साहित्य की इस समीक्षा से पता चलता है कि जीएसटी ने एक अधिक संरचित कर प्रणाली प्रदान की है, लेकिन सूक्ष्म उद्यमों को अनुपालन, डिजिटल अपनाने और कार्यशील पूंजी प्रबंधन में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

शोध पद्धति

यह अध्ययन गुणात्मक और मात्रात्मक शोध को मिलाकर मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म उघमियो से प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र करके धमतरी में सूक्ष्म उद्यमों पर जीएसटी के प्रभाव का विश्लेषण करना है।

1. डेटा संग्रह विधियाँ

अ) प्राथमिक डेटा:-

सर्वेक्षण: धमतरी में 60 सूक्ष्म उद्यमियों के बीच एक संरचित प्रश्नावली वितरित की गई। प्रश्न जीएसटी पंजीकरण, अनुपालन लागत, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय प्रभाव पर केंद्रित थे।

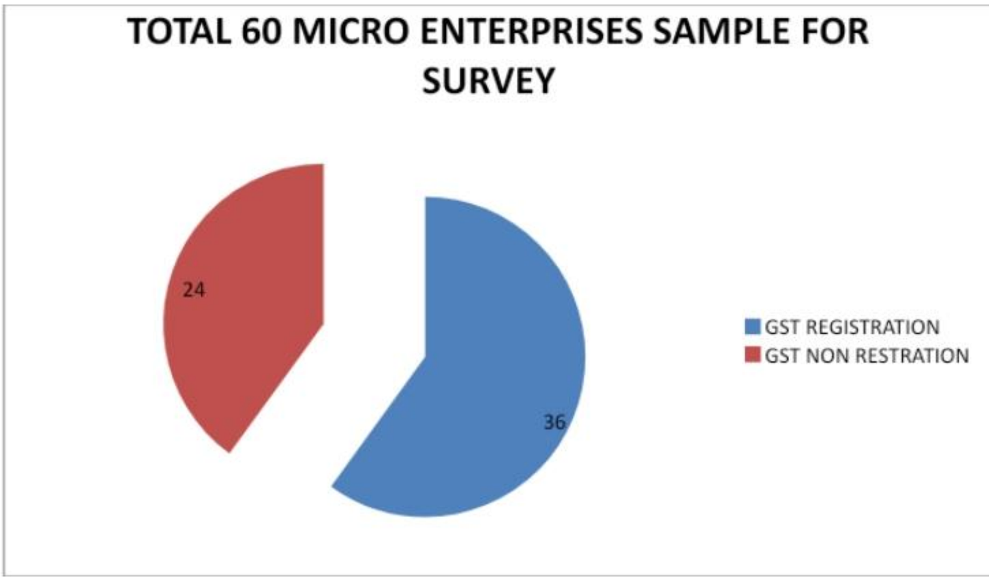

साक्षात्कार: जीएसटी के साथ उनके अनुभवों में गुणात्मक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए 10 सूक्ष्म उघमियो जीएसटी पंजीकृत 5 उघमी एवं जीएसटी गैर- पंजीकृत 5 उघमी दोनों के साथ गहन साक्षात्कार आयोजित किए गए।

अवलोकन: रिकॉर्ड रखने और डिजिटल लेनदेन सहित जीएसटी अनुपालन को प्रबंधित करने के तरीके का आकलन करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया गया।

ब) द्वितीयक डेटा

- एमएसएमई मंत्रालय और जीएसटी परिषद की सरकारी रिपोर्ट।
- जीएसटी और सूक्ष्म उद्यमों पर शोध पत्र और लेख।
- कर अनुपालन चुनौतियों पर उद्योग रिपोर्ट।

2. नमूनाकरण तकनीक:-

धमतरी में खुदरा, विनिर्माण और सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों को लक्षित करते हुए एक उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण पद्धति का उपयोग किया गया था। नमूने में विविध दृष्टिकोणों को पकड़ने के लिए जीएसटी-पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों उघमी शामिल थे।

3. डेटा विश्लेषण:-

- **वर्णनात्मक विश्लेषण:** रुझानों और पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हुए सर्वेक्षण डेटा को सारांशित करने के लिए उपयोग किया जाता है
- **विषयगत विश्लेषण:** जीएसटी चुनौतियों और लाभों से संबंधित प्रमुख विषयों की पहचान करने के लिए साक्षात्कार से गुणात्मक डेटा के लिए उपयोग किया जाता है।
- **तुलनात्मक विश्लेषण:** जीएसटी-पंजीकृत और गैर-पंजीकृत व्यवसायों के बीच अंतर की जांच की गई।

- **तालिका एवं रेखाचित्र व्याख्या सहित –**

क्रं.	शोध पत्र हेतु सूक्ष्म उघमियो (जीएसटी पंजीकृत एवं जीएसटी गैर- पंजीकृत) से एकत्रित सर्वेक्षण व साक्षात्कार प्रश्नों का विवरण	पूर्णता सहमत उघमी संख्या	आंशिक सहमत संख्या	पूर्णता असहमत उघमी संख्या	आंशिक असहमत उघमी संख्या	नहीं पता उघमी संख्या
1.	जीएसटी एक सरलीकृत कर संरचना है।	52	6	0	2	0
2.	इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्रोत्साहन हेतु पर्याप्त है।	40	16	0	3	1
3.	जीएसटी "एक राष्ट्र एक कर" द्वारा बाजार विस्तार हुआ है।	56	3	0	1	0
4.	जीएसटी से डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन बढ़ावा मिला है।	58	2	0	0	0
5.	जीएसटी द्वारा अनुपालन बोझ में वृद्धि हुई है।	45	11	0	2	2

6.	जीएसटी से परिचालन लागत(सीए, वकील ,कर सलाहकार) व्यय में वृद्धि हुई है।	25	12	6	14	3
7	जीएसटी हेतु डिजिटल शिक्षा एवं जागरूकता आवश्यक है।	60	0	0	0	0
8	जीएसटी कंपोजिशन स्कीम से उघम को लाभ हुआ है।	51	4	0	0	5
9	जीएसटी से सूक्ष्म उघमों को लाभ हुआ है।	47	8	0	1	4

सर्वेक्षण हेतु लिए गये नमूना में जीएसटी पंजीकृत संख्या 36 एवं जीएसटी गैर- पंजीकृत संख्या 24 है तथा दोनों सूक्ष्म उघमियो का उत्तर तालिका में समाहित है। जिसका रेखाचित्र प्रदर्शित है-

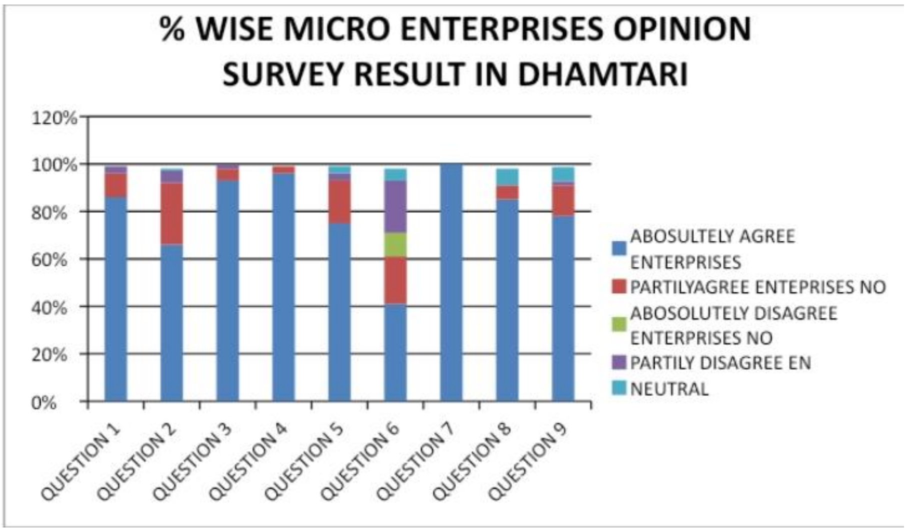

व्याख्या - प्रश्न तालिका से ही स्पष्ट है कि जीएसटी से सूक्ष्म उघमों को लाभ हुआ है साथ ही प्रश्न 7. हेतु प्रोत्साहन एवं डिजिटल शिक्षा, जागरूकता की आवश्यकता है। जिसके लिए सभी सूक्ष्म उघमी 100%पूर्णता सहमत हैं।जीएसटी सरल संरचना करदाताओं के सरल समझ अनुरूप है।

1. धमतरी में सूक्ष्म उद्यमों पर जीएसटी का प्रभाव

***सूक्ष्म उद्यमों के लिए जीएसटी के लाभ-:**

अ) सरलीकृत कर संरचना

जीएसटी से पहले, सूक्ष्म उद्यमों को वैट, सेवा कर और उत्पाद शुल्क जैसे कई अप्रत्यक्ष करों से निपटना पड़ता था। जीएसटी ने इन्हें एक कर में समेकित कर दिया, जिससे अनुपालन अधिक सरल हो गया।

ब) इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी)

जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यवसाय खरीद पर आईटीसी का दावा कर सकते हैं, जिससे उनका समग्र कर बोझ कम हो जाता है। इसने कई सूक्ष्म उद्यमों को जीएसटी-अनुपालन आपूर्तिकर्ताओं से कच्चा माल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया है।

स) बाजार विस्तार

जीएसटी ने अंतर-राज्यीय कर बाधाओं को हटा दिया है, जिससे धमतरी में सूक्ष्म उद्यमों को अतिरिक्त कर प्रभावों के बिना छत्तीसगढ़ से बाहर उत्पाद बेचने की अनुमति मिल गई है।

द) डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन

अनिवार्य ऑनलाइन जीएसटी रिटर्न दाखिल करने से व्यवसायों को डिजिटल वित्तीय प्रणालियों की ओर अग्रेषित किया गया है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखने में सुधार हुआ है।

2. सूक्ष्म उद्यमों के सामने आने वाली चुनौतियाँ -:

अ) अनुपालन बोझ(दायित्व)

धमतरी में कई सूक्ष्म उद्यम कई रिटर्न दाखिल करने और डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने की जटिलता के कारण जीएसटी अनुपालन से जूझ रहे हैं।

ब) परिचालन लागत में वृद्धि

व्यवसायों को अक्सर एकाउंटेंट या जीएसटी सलाहकारों को नियुक्त करने की आवश्यकता होती है, जिससे उनके खर्च बढ़ जाते हैं।

स) सीमित जागरूकता और डिजिटल विभाजन

धमतरी में छोटे व्यवसाय मालिकों का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल कराधान प्रणालियों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है, जिससे अनुपालन मुश्किल हो जाता है।

द) नकदी प्रवाह के मुद्दे

जीएसटी के तहत, कर का भुगतान नकद आधार के बजाय उपार्जन आधार पर किया जाता है। इससे नकदी प्रवाह की चुनौतियाँ पैदा होती हैं, खासकर उन व्यवसायों के लिए जिन्हें भुगतान देर से मिलता है।

3. जीएसटी कंपोजिशन स्कीम और इसका प्रभाव

धमतरी में कई सूक्ष्म उघमों ने जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना है, जो उन्हें विस्तृत रिकॉर्ड रखने के बिना एक निश्चित दर पर कर का भुगतान करने की अनुमति देता है। हालांकि, एक प्रमुख कमी यह है कि वे इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते हैं, जिससे उनके उत्पाद उन प्रतिस्पर्धियों की तुलना में महंगे हो जाते हैं जो आईटीसी का लाभ उठा सकते हैं।

(सरकारी पहल और सहायता-)

जीएसटी अनुपालन को आसान बनाने के लिए, सरकार ने निम्न की शुरुआत की है:

- जीएसटी कंपोजिशन स्कीम: सूक्ष्म उघमियो के लिए कम कर दरें।
- सरलीकृत रिटर्न फाइलिंग: जीएसटीएन पोर्टल को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के प्रयास।
- जागरूकता कार्यक्रम: सूक्ष्म उघमियो के लिए जीएसटी अनुपालन पर प्रशिक्षण सत्र।

इन प्रयासों के बावजूद, धमतरी में कई सूक्ष्म उद्यम अभी भी डिजिटल अपनाने और वित्तीय साक्षरता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूक्ष्म उघमों को जीएसटी से पूरी तरह लाभान्वित हों, अधिक स्थानीयकृत समर्थन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष -:

जीएसटी ने कराधान प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन लाए हैं, जिससे बाजार विस्तार और इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में धमतरी में सूक्ष्म उद्यमों को लाभ हुआ है। हालांकि, अनुपालन जटिलता, डिजिटल निरक्षरता और नकदी प्रवाह की कमी जैसी चुनौतियाँ महत्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं। जबकि सरकारी पहलों ने सूक्ष्म उघमों के लिए जीएसटी को सरल बनाने का प्रयास किया है, धमतरी में जागरूकता और जीएसटी के व्यापक सकारात्मक प्रभाव के लिए पहुंच में सुधार के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

संस्तुतियाँ -:

1. बेहतर डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम: सरकार को धमतरी जैसे अर्ध-शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय मालिकों को जीएसटी अनुपालन को समझने में मदद करने के लिए अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने चाहिए।

2. सरलीकृत रिटर्न फाइलिंग: अनुपालन बोझ को कम करने के लिए सरकार को सूक्ष्म उद्यमों के लिए एकल, त्रैमासिक रिटर्न पेश करना चाहिए।

3. जीएसटी अनुपालन के लिए वित्तीय सहायता: एमएसएमई-केंद्रित कर सलाहकार सेवाओं को रियायती दरों पर अधिक सुलभ बनाया जाना चाहिए।

4. लचीले कर भुगतान विकल्प: सूक्ष्म उद्यमों के लिए नकद-आधारित जीएसटी भुगतान विकल्प पेश करने से नकदी प्रवाह की समस्याएँ कम हो सकती हैं।

इन चुनौतियों का समाधान करके, धमतरी में सूक्ष्म उद्यम व्यवसाय वृद्धि और आर्थिक विकास के लिए जीएसटी का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

संदर्भ

1. सिंह, आर., और गुप्ता, पी. (2018)। जीएसटी और भारत में छोटे व्यवसायों पर इसका प्रभाव। जर्नल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, 12(3), 45-60।
2. बंसल, ए., और शर्मा, के. (2019)। जीएसटी के तहत एमएसएमई का डिजिटल परिवर्तन। आर्थिक नीति समीक्षा, 15(2), 78-94।
3. एमएसएमई मंत्रालय। (2022)। भारत में एमएसएमई क्षेत्र पर वार्षिक रिपोर्ट। नई दिल्ली: भारत सरकार।
4. एपीए (7वां संस्करण) शैली:
5. आईआईएफएल. (n.d.). भारत में एमएसएमई पर जीएसटी का प्रभाव: मुख्य लाभ और चुनौतियाँ। https://www.iifl.com/knowledge-center/msme/impact-of-gst-on-msmes
6. रिसर्चगेट. (2021). जीएसटी: भारतीय एमएसएमई के लिए अवसर और चुनौतियाँ। https://www.researchgate.net/publication/352679109_GST_OPPORTUNITIES_AND_CHALLENGES_FOR_INDIAN_MSMEs
7. आईईईई एक्सप्लोर. (2023). एमएसएमई पर जीएसटी के प्रभाव और निरंतर समर्थन की आवश्यकता का आकलन। https://ieeexplore.ieee.org/document/10563390
8. फिनएक्स्ट्रा. (2024). जीएसटी और एमएसएमई क्षेत्र: एक दोधारी तलवार। https://www.finextra.com/blogposting/26953/gst-and-the-msme-sector-a-double-edged-sword